श्रीमान् अशोक गहलोत,
माननीय मुख्य मंत्री
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :अनुसूचित जाति, जनजाति के कार्मिकों को पदोन्नति से षड़यंत्रपूर्वक वंचित किये जाने के क्रम में।

माध्यम जिला कलेक्टर .....

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपकी लोकप्रिय राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति के कार्मिकों के हितों के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक जाकर पदोन्नति में आरक्षण को यथावत रखवाया जिसके लिए **अनुसूचित जाति, जनजाति आरक्षण मंच** हृदय से आभारी हैं। लेकिन आपके परिज्ञान में कतिपय तथ्य लाना अति आवश्यक है कि विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय व राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय एवं प्रसारित आदेशों की गलत व्याख्या की जाकर दलित आदिवासी वर्ग के कार्मिकों की पदोन्नति हेतु योग्य होने के बाजवूद येन केन प्रकारेण पदोन्नति से वंचित करने के कुत्सित प्रयास किये जा रहे है वस्तु स्थिति निम्नानुसार है :–

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिनांक 29.08.2012 को दिये गये निर्णयानुसार पदोन्नति में वरिष्ठता (Consequential Seniority) को बरकरार रखा है जिसके फलस्वरूप अनुसूचित जाति, जनजाति को पदोन्नति में परिणामिक वरिष्ठता का लाभ देय होगा।
2. उपरोक्त निर्णय की पालना में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.09.2012 को आदेश जारी कर दिनांक 11.09.2011 की अधिसूचना के अनुसार पदोन्नति करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त आदेशों की पालना में कार्मिक विभाग के अधिकारियों द्वारा दिये जा रहे मौखिक निर्देशानुसार यह संशय उत्पन्न हो रहा है कि अनुसूचित जाति, जनजाति के 16 व 12 प्रतिशत आरक्षित कोटे में पदोन्नति करने के बाद यदि कोई आरक्षित वर्ग का कार्मिक सामान्य वरिष्ठता में पदोन्नति का पात्र है तो भी उसकी पदोन्नति नहीं की जायेगी व आरक्षित वर्ग के कार्मिक से सामान्य वर्ग के कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नत कर दिया जायेगा जो कि नियमानुसार गलत होगा।

3. 85 वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति की परिणामिक वरिष्ठता को संरक्षित किया गया है व उसी को सर्वोच्च न्यायालय ने भी यथावत रखा है जो संविधान की भावना के अनुरूप है। परिणामिक वरिष्ठता देय है तो आरक्षित वर्ग के कार्मिक से सामान्य वर्ग के कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नत करना संविधान की भावनाओं का उल्लंघन होगा व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत भी होगा।

4. कुछ पदो ंके काडर में केवल 6 या इससे कम पद होते है, पदोन्नति देने के लिये एल–शेप (L-Shape) रोस्टर क्रियान्वित करते हुये आरक्षण का लाभ दिया जावे।

5. डी पी सी में अजा जजा का प्रतिनिधि होना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जावे।

6. यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि राज्य सरकार ने 85 वें संशोधन की पालना में कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या No. F 15 (24) DOP/A-II/75 दिनांक 24.06.20008 के पैरा 7.2 में वर्णित है कि “This is because after the 85th constitutional amendment and the subsequent change in the service rules, SC/ST category candidates will get consequential benefits of promotion by virtue of reservation. Therefore, even if SC/ST quota of promotion post is full, a SC/ST candidate (who is otherwise suitable for promotion) is to be promoted against a non reserved post, in case he is senior than a non reserved candidate, However, he will be counted against the SC/ST quota and adjustment will be done as soon as possible to remove the excess.” एवं पैरा 7.3 में दिये गये उदाहरण द्वारा मय सारणी के स्पष्ट किया गया है कि यदि आरक्षित वर्ग का कार्मिक सामान्य वरियता में आता है तो उसको पदोन्नति देय होगी।

महोदय, **अजा, जजा आरक्षण मंच राजस्थान** निवेदन करता है कि राज्य सरकार द्वारा जारी उपरोक्त परिपत्र दिनांक 24.06.2008 के अनुसार

पदोन्नति में अनुपालना सुनिश्चित कराई जाकर अनुगृहीत करे जिससे अजा, जजा वर्ग के हितों का संरक्षण हो सकें।

भवदीय

महासचिव **अध्यक्ष**
जिला शाखा ..... **जिला शाखा .....**

नोटः **इस ज्ञापन को को मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार तथा प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक सचिव राजस्थान, जयपुर को सीधे भिजवाना अति आवश्यक है।**
(मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव व कार्मिक सचिव को ज्ञापन दिनांक 08.10. 2012 को भिजवाया जावे।)